(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 79 (आर.ई. 2013)/2009–2014

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

विषयः– दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 तथा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 (2009–14) के पैरा 9.1 के द्वारा यथा अधिसूचित "आयातक निर्यात कोड सं0 (आईईसी) के निर्गम/संशोधन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश" में संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति (2009–14), के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतदद्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 तथा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 (2009–14) के पैरा 9.1 के द्वारा यथा अधिसूचित "आयातक निर्यात कोड सं0 (आईईसी) के निर्गम/संशोधन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश" में संशोधन करते **हैं।**

2. "आयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) के निर्गम/संशोधन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश" के संशोधित भाग 5 को बड़े अक्षरों में रेखांकित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

5: आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपलोड एवं चिन्हित करें:		
क.	स्वामित्व	* स्वामी का डिजिटल फोटोग्राफ (3X3 सेमी.) * स्वामी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि * स्वामी के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ)/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/यूआईडी (आधार कार्ड) की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/ पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलिफोन बिल। * एएनएफ 2क(झ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चैक जिस पर आवेदक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।

ख.	साझेदारी फर्म	* प्रबन्ध साझीदार का डिजीटल फोटोग्राफ (3X3 सेमी.) * आवेदक फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि। * आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रबन्ध साझीदार के पासपोर्ट (प्रथम और अन्तिम पृष्ठ/मतदाता पहचान पत्र/यूआईडी (आधार कार्ड)/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * साझेदारी विलेख की प्रति * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/ पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलिफोन बिल * एएनएफ 2क(झ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चैक जिस पर आवेदक फर्म का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।

ग.	सीमित देयता साझेदारी फर्म सरकारी उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी खण्ड 25 कम्पनी	* आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले पदनामित साझीदार/निदेशक का (3X3 सेमी.) डिजीटल फोटोग्राफ। आवेदक फर्म के पैन कार्ड की प्रतिलिपि। * हस्ताक्षरकर्त्ता प्रबन्ध साझीदार निदेशक के पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम पृष्ठ/मतदाता पहचान पत्र/यूआईडी (आधार कार्ड)/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * आरओसी द्वारा यथा निर्गत निगमीकरण का प्रमाण–पत्र। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलिफोन बिल * एएनएफ 2क(झ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चैक जिस पर कम्पनी के निदेशक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।
घ.	पंजीकृत सोसायटी न्यास	* हस्ताक्षरी आवेदक/सचिव या मुख्य कार्यपालक का डिजीटल फोटोग्राफ (3X3 सेमी.) * आवेदक न्यास के पैन कार्ड की प्रतिलिपि * आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सचिव या मुख्य कार्यपालक/प्रबंध न्यासी के पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम पृष्ठ/मतदाता पहचान पत्र/यूआईडी (आधार कार्ड)/ ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की प्रतिलिपि (इनमें से कोई एक)। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलिफोन बिल * सोसाइटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र/न्यास विलेख की प्रतिलिपि * एएनएफ 2क(झ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चैक जिस पर पंजीकृत सोसाइटी या न्यास का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।

ड.	एचयूएफ	* कर्ता का डिजिटल फोटोग्राफ (3X3 सेमी.) * कर्ता के पैन कार्ड की प्रतिलिपि * कर्ता के पासपोर्ट प्रथम और अन्तिम पृष्ठ/मतदाता पहचान पत्र/यूआईडी (आधार कार्ड)/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि। * बिक्री विलेख यदि व्यवसाय का परिसर अपना है; या

		किराया/पट्टा करार यदि कार्यालय स्थल किराए/पट्टे पर है; या नवीनतम बिजली/टेलिफोन बिल * एएनएफ 2क(झ) के अनुसार बैंक प्रमाणपत्र/रद्द किया हुआ चैक जिस पर आवेदक का नाम एवं खाता संख्या अंकित हो।

3. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 के पैरा 9.1 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

आईईसी में संशोधन जैसे नाम/पता में परिवर्तन, साझेदारों/निदेशकों में परिवर्तन; संस्था के स्वरूप में परिवर्तन जैसे निजी लिमिटेड से सार्वजनिक लिमिटेड; क्रियाकलाप के प्रकार में परिवर्तन जैसे पण्य से विनिर्माता निर्यातक; या शाखा कार्यालय/फैक्टरी आदि को शामिल करने के लिए अनुरोध करने वाले आवेदकों को आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और आवेदन शुल्क के रूप में 500/– रु0 का भुगतान करना होगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः उपर्युक्त पैरा 2 में यथा रेखांकित कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को शामिल करने हेतु दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 (आरई–2013)/2009–2014 के द्वारा यथा अधिसूचित एएनएफ 2क के "आयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) के निर्गम/संशोधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश" के भाग 5 को संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 के पैरा 9.1 को इस आशय के साथ संशोधित किया गया है कि आवेदकों को आईईसी में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदन शुल्क के रूप में 500/–रु0 का भुगतान करना होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/93/180/20/एएम 13/पीसी–2 (ख) से जारी)